भाग

"खाता दुरुस्ती आवेदन–पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 136)

प्रपत्र

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

2022/223

विषय:– राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम देवपुरी में जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2077 के खाता संख्या 27 में मेरे पति के पिता के नाम पप्पू जगह अशुद्धि सही नाम महावीर है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक:– 27/10/2021

आज्ञा प्रार्थी

(.....)

रिपोर्ट–पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम देवपुरी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2077 के खाता संख्या 27 में प्रार्थी के नाम पति/पिता पप्पू दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार के सही नाम पुत्र/पति महावीर है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू0अ0नि0 लसाडिया

पटवारी
प.ह. लसाडिया

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता/पति नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी देवपुरी व भू0अ0नि0 लसाडिया एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम देवपुरी की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2077 की खाता संख्या 27 में प्रार्थी के पति नाम पप्पू के बजाय महावीर किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा(भीलवाड़ा) राज.

प्र.क्र. 161/22
10/06/22

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम देवपुरी जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2077 खाता संख्या 27 में दर्ज प्रार्थी के पिता/पति नाम पप्पू के स्थान पर महावीर संशोधन के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा(भील0)

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)